

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मये इंग्लिशमें जरा	नम्बर व तारीख अहकाम हुकम की तारीख में जारी
30-4-21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य सफल/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 27/4/21 को पेश हो।	
18-8-21	उभय पक्ष राज/अभिभाषक अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदस्थित है। अतः पत्रावली दिनांक 27/4/21 को पेश हों।  रीडर उपखण्ड अधिकारी मण्डल	
29-6-21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य सफल/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 27/4/21 को पेश हो।	
8-12-21	पत्रावली उशासन गांवो के संग क्षत्रियान 2021 केस गणपचापत डालभास में पेश हुई - क्षत्रियान के सम्मन बाइतामिल होकर एक तहसीलदार मंडल परिवार-हल्का पट्टारी द्वारा विपरीत पेश हुई जिसे शा-फरकिया गया। प्रार्थी काजान-पत्र लचीकार किया जाकर निर्णय सफल से लिखा जाकर शा-फरकिया गया। पत्रावली के सब सुमार होकर दफ्तर हाथिल हो।  डॉ. पूजा शर्मा उपखण्ड अधिकारी मण्डल दिनांक 08/12/2021	

पालय उपखण्ड

नीन अधिकारी :- डॉ.

क्रमा :- 207/2  
सत्यमाराधण 20

श्यामसुन्दर 20

प्रार्थना प

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना

किया कि ग्राम गाँव

संयुक्त खातों की आर

07 दीघा

वा के सीमा चिन्ह नहीं

खाते की भूमि की पत

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस

कनार्थ से यह बात सि

तारी है। वैसे भी इस प्र

तथा न किसी प्रकार

न्त के आधार पर आवे

प्रार्थी का प्रार्थना धा

रार हल्का हिसा

28

म के चारो तरफ सी

थरगदी किये जाने हे

पये कमिश्नर फीस

मिश्नर फीस जमा हो

बन्दु को आधार मान

प्रतिलिपि :- तहसील

जाकर पालना रिपो



रील  
इस  
पील  
र

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

गीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गौनों के संग अभियान 2021

मा संख्या :- 207/20 प्रा.पत्र

श्री सत्यमाराधण शंकरलाल ब्राह्मण विपारी - गौरधनपुरा तहसील मांडल (भीलवाड़ा) प्राची

बनाम

श्री श्यामलाल शं. श्री रामचंद्र ब्राह्मण विपारी - हिसानिया तहसील मांडल (भीलवाड़ा) विपक्षीय  
हिसानिया (कालका)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 8/12/21

प्राची की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर  
दिया गया कि ग्राम गौरधनपुरा पटवार हल्का हिसानिया तहसील मांडल में उसके  
संयुक्त खातों की आराजी नं. 1705, 1710, 1712, 1719, 1727 कुल किता 06  
07 बीघा हेक्टर 14 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी  
विवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राची अपने खाते  
गत खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।  
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.11.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को  
नोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राची के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का  
प्रकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेश  
है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक  
द्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्राची स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्राची का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गौरधनपुरा  
पटवार हल्का हिसानिया तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 1705, 1710, 1712, 1719, 1727  
728 कुल किता 06 रकबा 07 बीघा हेक्टर 14 बिस्वा  
भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है।  
पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक 3.11.21 को 800/-  
रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राचीगण मौके पर जमा करावें।  
कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील  
बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल, जिला-भीलवाड़ा 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्राची द्वारा राशि जमा कराने पर नियमनुसार पत्थरगद्दी की  
जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल, जिला-भीलवाड़ा  
प्रशासन गौनों के संग अभियान 2021

कंकू मद्य Shyamprakash ममता